दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)
THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ : Plexh/Cir/534

दिनांक : 23.10.2026

को,

Plexconcil के सभी सदस्य/

सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

<u>विषय: भारतीय प्लास्टिक निर्यातकों के सामने आने वाले SPS, TBT और अन्य नॉन-टैरिफ उपाय (NTM) मुद्दे</u>

काउंसिल से विदेशी बाज़ारों में भारतीय प्लास्टिक एक्सपोर्टर्स को आने वाली दिक्कतों और चुनौतियों की डिटेल्स इकट्ठा करने के लिए कहा गया है, खासकर सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (SPS) उपायों, ट्रेड में टेक्निकल रुकावटों (TBT), और दूसरे नॉन-टैरिफ उपायों (NTMs) से पैदा होने वाली दिक्कतों और चुनौतियों की डिटेल्स इकट्ठा करने के लिए कहा गया है।

मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि वे अपने-अपने एक्सपोर्ट मार्केट में आने वाली मुश्किलों पर खास और सबूतों पर आधारित इनपुट शेयर करें, जिसमें लागू रेगुलेशन, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की ज़रूरतें, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, लेबलिंग, पैकेजिंग, डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड से जुड़ी दूसरी पाबंदियां शामिल हैं।

कृपया नीचे दिए गए फ़ॉर्मेट में जानकारी दें, जिसमें साफ़ तौर पर बताया गया हो कि कौन सा प्रोडक्ट प्रभावित है, HS/HSN कोड (बेहतर होगा 8-डिजिट का), डेस्टिनेशन देश/इलाका, लागू उपाय की जानकारी, एक्सपोर्ट पर इसका असर और ज़रूरी दखल। जहाँ भी उपलब्ध हों, संबंधित नोटिफ़िकेशन, नियम और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी साथ में दिए जा सकते हैं।

मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि वे अपनी राय bharti@plexconcil.org ; shilpa@plexconcil.org पर 26 अक्टूबर 2026 (शाम 4 बजे) तक भेज दें , ताकि PLEXCONCIL तय समय सीमा के अंदर जानकारी इकट्ठा करके संबंधित अथॉरिटी को भेज सके।

भारतीय निर्यातकों के सामने आने वाले एसपीएस, टीबीटी और अन्य गैर-टैरिफ उपाय (एनटीएम) मुद्दों की रिपोर्टिंग के लिए प्रारूप

एस. नं.	विवरण	सदस्यों के इनपुट / प्रतिक्रिया
1	**कंपनी का नाम** **संपर्क व्यक्ति का नाम, ईमेल और संपर्क नंबर**	
2	**गंतव्य देश/क्षेत्र**	
3	**प्रोडक्ट का नाम**	
4	**HS/HSN कोड (4/6/8 अंक)**	
5	**समस्या की श्रेणी (SPS/TBT/NTM)**	
6	**उपाय/रेगुलेशन की डिटेल्स *लागू होने वाले उपाय, ज़रूरत, रोक, स्टैंडर्ड, सर्टिफ़िकेशन, टेस्टिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, रजिस्ट्रेशन, या दूसरी शर्त के बारे में बताएं।***	
7	**संबंधित नोटिफिकेशन/रेगुलेशन का *टाइटल/नंबर, जारी करने वाली अथॉरिटी, नोटिफिकेशन/रेगुलेशन की तारीख, लागू होने की तारीख, और अगर उपलब्ध हो तो ऑफिशियल लिंक दें।***	

8	**सामना की गई कठिनाई की प्रकृति** ***एक्सपोर्टर्स को होने वाली खास कम्प्लायंस मुश्किलों के बारे में बताएं, जैसे टेस्टिंग/सर्टिफिकेशन की ज़रूरतें, रजिस्ट्रेशन में देरी, डॉक्यूमेंटेशन, लागत, या प्रोसेस से जुड़ी दिक्कतें।***	
9	**निर्यात पर प्रभाव**	
10	**अनुमानित व्यापार प्रभाव**	
11	**अब तक की गई कार्रवाई।** ***इंपोर्ट करने वाले देश/अथॉरिटी के साथ रिप्रेजेंटेशन, कंसल्टेशन, चर्चा, या पहले से की गई दूसरी कार्रवाई को शॉर्ट में बताएं।***	
12	**हस्तक्षेप आवश्यक है**	
13	**सहकारी दस्तावेज़**	

सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस मामले को प्राथमिकता दें और अपने इनपुट समय पर जमा करें।

इस मामले में आपके सहयोग की सराहना की जाती है।

साभार
भारती परावे
निदेशक - व्यापार और नीति
प्लेक्सकॉन्सिल